पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–20/2025 80/31 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, चतरा, देवघर एवं पाकुड़।

राँची, दिनांक– 13-11-2025

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष–115–अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि, उप शीर्ष–03–सर्किट भवन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू0 ₹76,18,000/– (रूपये छिहत्तर लाख अठारह हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, राँची के पत्रांक–431/नजा., दिनांक–26.05.2025, उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–623/नजा., दिनांक–16.06.2025, उपायुक्त, जमशेदपुर के पत्रांक–716/नजा., दिनांक–28.06.2025, उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक–216/नजा., दिनांक–19.06.2025, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–331/नजा., दिनांक–23.06.2025, उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–570/नजा., दिनांक–28.08.2025 तथा उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक–200/नजा., दिनांक–07.07.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभिन्न इकाई में कुल ₹76,18,000/– (रूपये छिहत्तर लाख अठारह हजार) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:–

क्र.	उपायुक्त कार्यालय का नाम	DDO CODE	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	विद्युत व्यय	योग
1	राँची	RNCOAS 013	500000	0	4000000	4500000
2	गुमला	GMLDAD 002	500000	300000	0	800000
3	पूर्वी सिंहभूम	JSRDAD 001	0	0	968000	968000
4	लोहरदगा	LOHLDR 006	100000	0	150000	250000
5	चतरा	CTRDAD 020	500000	0	0	500000
6	देवघर	DGRDADB 06	0	0	300000	300000
7	पाकुड़	PKRDADA 07	300000	0	0	300000
कुल योग			**1900000**	**300000**	**5418000**	**7618000**

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिलों के संबंधित DDO Code में दिया गया है।

3. दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मजदूरी इकाई में राशि आवंटित की जा रही है।

कृ0पृ0उ0

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, पत्रांक–1800/वि., दिनांक–15.07.2003, पत्रांक–338/बजट, दिनांक–28.03.2025 एवं पत्रांक–624/बजट, दिनांक–02.09.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या–40 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

08/XI

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 80/3111 राँची, दिनांक– 13-11-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/XI/XXV

सरकार के सचिव।